आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
श्री अनिल गंझु वल्द देवा गंझ, बिनोद गंझु वल्द गुलाबी गंझु, रंजय गंझू वल्द विनेशर गंगु लखन गंझु वल्द सरयू गंझु पिन्टु गंझु वल्द जगलाल गंझु, चैतु गंझु वल्द स्व0 मोहित गंझु,मनोज गंझु वल्द अमेरिका गंझ एवं पालो गंझु वल्द देवा गंझु सभी ग्राम–मदारपुर पंचायत–सिकीदाग थाना–कुन्दा द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके पूर्वज पइरदादा भादे गंझु वल्दसुभानी उर्फ संतोषी गंझु केव अनिल गझु के दादा मोही गंझु के है अंचल के रजिस्टर नं0–2 में आवेदक के परदादा भादे गंझु का नाम दर्ज है । इस जमीन को आवेदकों के परदादा मींदार स्व0 खुसी महतो वल्द स्व0 बालगोविन्द महतो वगैरह को जिम्मानामा कागज दिखाकर सभी गोतिया लोग यादव परियार आवेदकों को अना रैयती जमीन कब्जा नहीं होने दे रहे हैं विपक्षी रंजीत यादव वल्द गणेश यादव, पिन्टु यादव वल्द केदार यादव, सुनील यादव वल्द यदुनन्दन यादव, भोला यादव पिता जटुल यादव वगैरह, रामोतार यादव वल्द भुन यादव, शिवकुमार यादव वल्द ललन यादव, अरबिन्द यदव वल्द स्व0 लक्ष्मण यादव हैं । पंचायत भी हुआ है । जमीन का मालगुजारी प्रथम पक्षगण अदा कर रहे हैं एवं पैदाकर विपक्षी खा रहे हैं । जमीन का विवरण खाता सं0–14 प्लॉट सं0–125 रकवा 0.02 ए0 एवं प्लॉट सं0–126 रकवा 0.53 ए0 है । इस शिकायत की जॉच राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक से कराई गई । उनके द्वारा जॉच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । प्रतिवेदित किया गया है कि– 1 ग्राम मदारपुर थाना संख्या–168 के खाता संख्या–114 प्लॉट सं0–125,126 रकवा 0.02 ए0, 0.53 ए0 कुल रकवा 0.55 ए0 भूमि सर्वे खतियानी भूमि है । सर्वे खतियाभादे गंझु पिता संतोषी गंझु का नाम दर्ज है । उक्त भमि का माबंदी पंजी–।। के पृष्ट सं0–56/। पर कायम होकर ऑनाईन रसीद वर्ष–2022–23 तक मोही गंझु पिता सुभानी गंझु के नाम निर्गत है । 2. भूमि पर भांदे गंझु के वंशज अनिल गंझु पिता विनोद गुझ वगैरह का दखल–कब्जा है । 3 खाता सं0–14 प्लॉट सं0–08 रकवा 0.83 ए0 भूमि सर्वे खतियाननी भूमि है । सर्वे खतियान में भादे गंझु पिता संतोषी गंझु के नाम दर्ज है जिसकी जमाबंदी पंजी–।। के पृष्ठ सं0–56/1 पर दर्ज होकर	

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष–2004–05 तक मोही गंझु के नाम निर्गत है । भूमि पर वंशज का दखल–कब्जा नही है ।

4 खाता सं0–14 प्लॉट सं0–126,125, रकवा 0.02, 0.53 ए0 भूमि 0.04 ए0 भूमि पर नवनर्मित मकान स्थानीय जॉचोपरानत वर्ष 2019 मे निर्माण राजेश यादव, सुनील यादव पिता यदुनन्दन यादव का मकान बना हुआ है । शेष रकवा 0.51 ए0 भूमि पर अवैध तरीके से जोत कर रहे हैं । भूमि से संबंधित कागजात की मॉग करने पर ख़ाता सं0–14 प्लॅट सं0–125,126 रकवा 0.02 ए0 का राजेश यादव, सुनील यादव पिता यदुनन्दन यादव द्वारा सादा जिम्मेनामा का एक पेपर जमा किया गया । उक्त भूमि का राजेश यादव, सुनील यादव के नाम जमांदी कायम नहीं है और न हीं सरकारी रसीद निर्गत है । खतियानी रैयत को बेवजह भूमि से बेदखल किये हुए है । ख़ाता सं0–14 प्लॉट सं0–08 रकवा 0.83 ए0 भूमि पर रतन यादव, रंजन यादव पिता गल्बी यादव, दखन यादव पिता जगदेव गंझु द्वारा अवेध तरीके से भूमि कब्जा किये हुए है । रतन यादव वगैरह के नाम न हीं जमाबंदी कायम है और न ही सरकारी रसीद निर्गत है । राजस्व उप निरीक्षक द्वारा खतियानी रैयत के वंशजों को भूमि पर दखल दिलाने की अनुशंसा की गई है ।

अतः उपरोक्त आवेदन, प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें ।

दिनांक– 5/8/22 का रखें ।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 29/7/22

अंचल अधिकारी
कुन्दा।

(हस्ताक्षर) 29/7/22

अंचल अधिकारी
कुन्दा।

5/8/22 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष कागजात के साथ उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 10/8/22 को रखें।

(हस्ताक्षर) 5/8/22

अं० अ०
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.07.02 12:06:39 +05:30
Location: 192.168.208.32

Scanned with OKEN Scanner